परियोजना का नाम– भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय हेतु भवन निर्माण।

परियोजना का औचित्य।

भारतीय स्टेट बैंक भारत सरकार के उपक्रम है। जनपद नैनीताल के अर्न्तगत हल्द्वानी में भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में सम्पूर्ण कुमॉऊ मण्डल में भारतीय स्टेट बैंक का एकमात्र प्रशासनिक कार्यालय हल्द्वानी में है, जिसका स्वंय का भवन न होने के कारण उक्त कार्यालय भारतीय स्टेट बैंक कुसुमखेड़ा के भवन में किराये में संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा विगत वर्षो में बैंकिग क्षेत्र में नई–2 योजनाओं लागू करने से बैंक का कार्यक्षेत्र अत्यधिक बड़ गया है जिससे कार्यालय में भी कार्य का दबाव अत्यधिक बड़ता जा है। परन्तु प्रशासनिक कार्यालय में जगह का अत्यन्त अभाव होने के कारण कार्य करने में अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे बैंकिगं सेवा भी प्रभावित हो रही है। जिसके समाधान हेतु यह निर्णय लिया गया है कि उक्त कार्यालय का स्थायी रूप से निमार्ण किया जाना अति आवश्यक है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय हेतु भवन निर्माण किये जाने के कारण निम्न प्रकार है।

1. भारतीय स्टेट बैंक कुसुमखेड़ा के भवन में समस्त स्टाफ के लिए कार्य करने की उचित व्यवस्था/स्थान नही है।
2. बैकिंग मानकों के अनुसार भवन नहीं है तथा वर्तमान परिसर सुरक्षा मानकों के आधार पर सही नही है।
3. स्टाफ के लिए प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है तथा न ही कोई सभागार कक्ष नहीं है।

हल्द्वानी में उक्त प्रशासनिक कार्यालय के निर्माण हेतु राजस्व एंव अन्य कोई नाप भूमि उपलब्ध न होने के कारण हल्द्वानी वन प्रभाग हल्द्वानी के छकाता राजि के अर्न्तगत सुल्तानपुर नगरी वन ब्लौक में 0.4020 है0 वन भूमि चयनित की गयी है, जो कि प्रशासनिक कार्यालय के निर्माण कार्य हेतु उपर्युक्त है।

भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक भवन के निर्माण से कुमॉऊ मण्डल के समस्त जनपद तथा गडवाल मण्डल का चमाली जनपद में प्रशासनिक कार्यालय के अर्न्तगत कार्यरत 192 शाखाऐं लाभाविंत होगी तथा भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाओं का कार्य होने से सभी बैंक शाखाओं को लाभ प्राप्त होगा। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र के आस–पास की वन भूमि को अन्य विभागों को भी हस्तान्तरित किया गया है।

उपरोक्त समस्त कारणों से चयनित स्थल भारतीय स्टेट बैंक के प्रशासनिक कार्यालय के निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया है। अतः उक्त वन भूमि का चयन अपरिहार्य एंव औचित्य पूर्ण है जिस हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अर्न्तगत गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भारतीय स्टेट बैंक
उप–महाप्रबन्धक (बे०परि०)
प्रशासनिक कार्यालय, हल्द्वानी